रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062026-273853
CG-DL-E-26062026-273853

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/ आषाढ 1, 1948
No. 451] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ ASHADHA 1, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

सा.का.नि. 502(अ).— यह कि आधार संख्या का उपयोग पहचान स्थापित करने हेतु व्यक्तियों को सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएँ सुगम एवं निर्बाध तरीके से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए बहुविध दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और यह कि, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सु-शासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे इसके बाद कथित नियमावली कहा जाएगा) के नियम 3 के उप-नियम 1 के अंतर्गत निर्धारित प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (साइबर सुरक्षा प्रभाग) भारत सरकार (जिसे इसके बाद कथित मंत्रालय कहा जाएगा) को दिनाँक 12.06.2026 के पत्र संख्या 13(8/2021-ईजी.II के जरिए सूचित किया था कि भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (जिसे इसके बाद सर्ट-इन कहा जाएगा) को अधिप्रमाणन करने और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या का उपयोग करने और आधार (वित्तीय और अन्य छूट, लाभ और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 4 की उप-धारा 4 के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के तहत भी इसे अधिसूचित करने की अनुमति दी जाएगी:

और यह कि, आधार अधिप्रमाणन (क) सर्ट-इन में भर्ती के लिए सर्ट-इन द्वारा आयोजित भर्ती/परीक्षा के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की पहचान स्थापित करने के लिए; और (ख) उक्त परीक्षा प्रक्रिया में शामिल परीक्षा अधिकारियों की पहचान स्थापित करने के उद्देश से नियम 3 के उप-नियम (1) (क) के अधीन निर्दिष्ट किए गए अनुसार हाँ/नहीं अथवा/और ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए (जिसे आगे "उक्त प्रयोजन" कहा जाएगा) किया जाएगा तथा उक्त प्रयोजन हेतु आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा; और सर्ट-इन आधार अधिप्रमाणन बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन , ओटीपी और जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन का उपयोग करते हुए केवल भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवारों की पहचान स्थापित करने के लिए ही आधार अधिप्रमाणन करेगा, जिसमें पंजीकरण, परीक्षा, साक्षात्कार, ज्वाइनिंग आदि शामिल हैं (जिसे आगे "उपयोग प्रकरण" कहा जाएगा)।

अतएव, उक्त नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम कि धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में, कथित मंत्रालय निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

1. सर्ट-इन, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यहाँ विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अधिप्रमाणन से पूर्व आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

2. उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर होगा और सर्ट-इन आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों की जानकारी देगा तथा आधार अधिप्रमाणन कराने से इनकार करने या कराने में असमर्थ होने की स्थिति में किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगा, अर्थात्:-

(क) फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक;

(ख) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड;

(ग) पासपोर्ट;

(घ) राशन कार्ड;

(ङ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र;

(च) किसान फोटो पासबुक;

(छ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

(ज) जाति प्रमाण पत्र; और

(झ) निवास प्रमाण पत्र।

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 22(1)/2026-साइबर सुरक्षा]

कृष्ण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2026

G.S.R. 502(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had conveyed *vide* its letter no. 13(8)/2021-EG.II, dated 12.06.2026 to the Ministry of Electronics and Information Technology (Cyber Security Division), Government of India (hereinafter referred to as the said Ministry) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the Indian Computer Emergency Response Team (hereinafter referred to as CERT-In) may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act):

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for establishing the identity of (a) candidates at various stages of recruitment / examination conducted by CERT-In for recruitment in CERT-In; and (b) examination functionaries involved in the said examination process, using Yes/No or/and eKYC authentication facilities (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1)(a) of rule 3 of the said rules and performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the CERT-In shall perform the Aadhaar authentication only for establishing the identity of candidates at all stages of recruitment for CERT-In which includes registration, examination, interview, joining, etc. by using Biometric-based authentication, OTP and Demographic Authentication [hereinafter referred to as the use case(s)].

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely: —

1. (1) The CERT-In, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

   (2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis and the CERT-In shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:

   (a) Bank or Post Office Passbook with Photo;
   (b) Permanent Account Number (PAN) Card;
   (c) Passport;
   (d) Ration Card;
   (e) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India;
   (f) Kisan Photo Passbook;
   (g) Driving License issued by the Licensing Authority under the Moter Vehicles Act, 1988;
   (h) Caste Certificate; and
   (i) Domicile Certificate.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. 22(1)/2026-CyberSecurity]

KRISHAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.26 11:52:21 +05'30'